राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.म. / 2014 दिनांकः 19.02.2018

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018–19 के बजट भाषण में **"राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग"** को एक Permanent Institution के रूप में गठित करने की घोषणा के सम्बन्ध में विधानसभा में बजट जवाब के दौरान एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय कमेटी के गठन सम्बन्धी घोषणा के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नांकित मंत्रिगण एवं अधिकारीगण की एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है:–

1. श्री गुलाबचन्द कटारिया, मा. मंत्री, गृह विभाग – अध्यक्ष
2. श्री प्रभू लाल सैनी, मा. मंत्री, कृषि विभाग – सदस्य
3. डॉ. राम प्रताप, मा. मंत्री, जल संसाधन विभाग – सदस्य
4. श्री अजय सिंह, मा. मंत्री, सहकारिता विभाग – सदस्य
5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, मा. राज्यमंत्री, ऊर्जा विभाग – सदस्य
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग – सदस्य
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग – सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग – सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग – सदस्य
10. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग – सदस्य सचिव

उक्त कमेटी निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी:–

I. राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के दायरे में आने वाले कृषकों की श्रेणियों का वर्गीकरण / निर्धारण।
II. प्रदान की जाने वाली राहत की सीमा, प्रकार व प्रक्रिया का निर्धारण।
III. अगर गैर सहकारी बैंक अथवा अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है, तो उनको शामिल किये जाने की शर्तों का निर्धारण।
IV. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

उक्त कमेटी समस्त संबंधित पक्षकारों से विचार–विमर्श कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा बैठक में अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति से विशेष सदस्य भी आमंत्रित किये जा सकेंगे।

उक्त कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सहकारिता विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
9. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
11. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव